the Jute Manufactures Cess (Amendment) Bill, 2002, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8m March, 2002.

The Deputy Speaker has under article 95(1) of the Constitution certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

GOVERNMENT BILLS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Now, we shall take up the Consumer Protection (Amendment) Bill, 2001.

THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 2001

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले निधेयक पर विचार किया जाये ।"

The question was proposed.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry) : Sir, I have nothing much to say in this regard. I want to speak only with regard to Section 29B, clause 27 - the applicant has been totally debarred from appearing before the District forum and the State Commission. The new section 29B says. "Notwithstanding anything contained in any law, the opposite party before a District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, shall not be entitled to be represented by a legal practitioner; except when the complainant - (a) has engaged a legal practitioner; or (b) is himself a legal practitioner; or (c) has no objection to the opposite party engaging a legal practitioner." Sir, so far as this provision is concerned, we have a strong objection. As said by the Minister, he is coming up with an amendment with regard to this. If this amendment is moved, there will not be any hitch. I think the amendment is being moved. So, thank you for having allowed the applicants to appear before the forum. Now, the fee. It has been increase to one crore from twenty-five lakhs

before the two forums; so the litigants are allowed to appear. There are a lot of other difficulties. One more difficulty, from the point of view of the public, I would like to bring to the notice of the hon. Minister.

Sub-clause (2) of clause 9 says "Every complaint filed under sub-section (1) shall be accompanied with such amount of fee and payable in such manner as may be prescribed." As far as the Consumer Protection Act, 1986, was concerned, there was no court fee at all. By virtue of this amendment, a court fee has been prescribed; that has to be paid with every complaint. With great respect, I would say that by this amendment, the purpose for which the Consumer Protection Act was brought into force would be nullified. The Consumer Protection Act was brought into force with a view to giving cheaper and immediate remedy to the people concerned. Therefore, I request the hon. Minister not to impose a huge fee, like they do in the civil courts. Let there be a nominal charge for sending summons, etc., and other charges should not be there. This is one of the main things to which I would like to register my strong objection. Otherwise, I support the Bill as such. Thank you.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष जी, मेरी एक बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, जो मैं यहां माननीय सदन में रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा यह पूछना है, आप यह अमेण्डमेंट जो उपभोक्ताओं के मामले में लाए हैं, इसमें आप या सरकार मैम्बर आफ पार्लियामेंट को उपभोक्ता मानते हैं या नहीं मानते हैं? कृपया इस बात को आप स्पष्ट कर दें। अभी-अभी उपभोक्ता फोरम का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें मैम्बर आफ पार्लियामेंट को उन्होंने उपभोक्ता नहीं माना है। रेलवे में सफर करते हुए एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने खानपान सेवा वगैरह के संबंध में एक शिकायत की। उस संबंध में जजमेंट दिया गया कि चूंकि उन्होंने पेमेण्ट नहीं किया था, उनको फ्री खाना दिया गया था इसलिए वह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपके पास इसका क्या प्रोवीजन है? यह जो फैसला हुआ है, परसो के ही अखबार में इसकी रिपोर्टिंग देखी है। जब उनके द्वारा कहा गया कि ट्रेन लेट हो गई तो कहा गया कि डेस्टिनेशन पर पहुंची, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन लेट हुई या नहीं हुई । ससंद सदस्य की शिकायत पूरी की पूरी खारिज कर दी गई। आपको इस संशोधन में या आपके इस कानून में संसद सदस्य को उपभोक्ता माना गया है या नहीं माना गया है? कृपया इसका स्पष्टीकरण आप कर दें या फिर समावेश कर दें। क्योंकि ससंद सदस्य इस देश के बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करता है और सर्वोच्च सदनों में बैठकर अपनी बात रखता है, उसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है या नहीं रखा गया, यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): Sir, we are very grateful to the hon. Minister for being so receptive. We brought this to his notice only today, and he has been kind enough to accept the amendment in regard to

clause 27. We thank him heartly for this. Clauses 7, 13 and 19 propose very stringent qualifications for appointment as members. I think, this is the only legislation of its kind where a person, in order to be a member has to be a person of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge and experience of atleast ten years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration. These are very stringent qualifications. While I congratulate the hon. Minister, I find it a very, very stringent provision. I do not think we find these words even in the Representation of the People Act. But when you mention the word 'public affairs', Mr. Minister, I hope you do not mean somebody who did not get the ticket in the last election; when you mention the word 'public affairs', I hope you do not mean somebody who fought the last election and lost it by a very narrow margin. So, this is one aspect that the Government has to keep in mind before making these appointments under clauses 7, 13 and 19. In regard to another provision, hon. Minister, Sir, we have a very serious objection, that is, clause 6, where you have made the Collector of the district as the Chairman of the District Consumer Protection Council. Do you think the Collector of a district has enough time? Since time immemorial, since the British time, the poor man is overburdened with so many powers; he himself does not know how many powers he has. Instead of the Collector, you could consider making the Member of Parliament belonging to that area the Chairman of the District Consumer Protection Council. I mean, why can't we vest these powers in the elected representatives of the people, instead of burdening the Collector with everything, right from land revenue to the Indian Penal Code, to the Criminal Procedure Code, to the Consumer Protection Act's provisions?' All powers are being vested in the Collector, as if the Collector is the only competent person to provide justice to the people. Tell me, what is the relationship between the Collector and the consumer? Probably, none. But I thank you very much for accepting our suggestion in regard to clause 27. Otherwise, it would have been a big handle in the hands of the multinationals, because the consumer would not be able to engage a lawyer, and what the company would have done is that, it would have appointed somebody as a consumer redressal officer, and he will be a person with 20 years' experience, but not, technically, a legal practitioner, and he would be appearing against the consumer. So, this is what we had brought to the notice of the hon. Minister, and he was kind enough to accept our request. Thank you very much, Sir.

श्री शांता कुमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के रूप में दो ही मुख्य बातें माननीय सदस्यों ने कहीं, अमेंडमेंट के रूप में भी आई और दोनों को हमने स्वीकार कर लिया है।

एक तो सैक्शन 3 के बारे मे थी। उस बारे में तो स्टेंडिग कमेटी ने भी सुझाव दिया था कि जो हम प्रपोज करके ला रहे थे, उसके द्वारा जहां-जहां ट्रिब्यूनल हैं, ट्रिब्यूनल में न्याय मिल सकता है, उन सब विषयों पर कज्यूमर फोरम में जाने की मनाही की जा रही थी। उस संबंध में यह सुझाव आया और सरकार को यह सुझाव ठीक लगा कि उससे कंज्यूमर, उपभोक्ता को परेशानी होगी क्योंकि ट्रिब्यूनल का हैड क्वार्टर तो दिल्ली होता है। आज तो हर जिले के अंदर हर कोई, उसकी जो भी शिकायत हो, उस शिकायत के बारे में जिला फोरम में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है लेकिन जो अमेंडमेंट आया था, उसके द्वारा जिन मामलों में ट्रिब्यूनल विभिन्न विभागों ने नियुक्त किए थे, उन मामलों में उपभोक्ता जिला फोरम में नहीं जा सकता था। इस संबंधमें स्टेंडिंग कमेटी ने भी सुझाव दिया था, कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा था, तो हम इस बारे में अमेंडमेंट ला रहे हैं कि पहले की स्थिति रहेगी और उपभोक्ता को सभी विषयों में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाने का अधिकार होगा।

दूसरा सैक्शन 27 के बारे में था। आज ही कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा। हमने उस पर विचार किया, कानून मंत्री महोदय से भी विचार हुआ और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मैंने बात कर ली है और उस संबंध में भी हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हम से भी मैंने बात कर ली है और उस संबंध में भी हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हम उसमें संशोधन ला रहे हैं, उसमें यथास्थिति रहेगी, वकीलों को उसमें जाने का अधिकार रहेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सारे अमेंडमेंट हम लाए हैं, इन सारे, अमेंडमेंट्स को लाने के अंदर हमने विभिन्न वर्किंग ग्रुप, नीरन डे कमेटी, अध्यक्ष कंज्यूमर फोरम, अध्यक्ष कंज्यूमर कमीशन, इन सबसे सलाह ली थी। एक सबसे बड़ी शिकायत जो आई वह यह थी कि इसमें तय तो यह था कि आर्डिनरी ज्यूडिशियल कानून और प्रक्रिया के चक्कर से सारे के सारे फोरम बाहर हों और यह भी तय किया गया था कि 90 दिन के अंदर निर्णय हो लेकिन अनुभव में यह आया कि निर्णय में बहुत देरी होती थी। देरी क्यों होती है, उसका मुख्य कारण सबने यह बताया कि बार-बार ऐडजर्नमेंट ली जाती हैं, वकील उसमें जाते हैं , वे स्थगित करवाते हैं और उसके कारण देरी होती है। तो इस देरी को दूर करने के लिए हम दो अमेंडमेंट इसमें लाए हैं। एक तो यह लाए कि वकील तभी ऐन्गेज होगा यदि कम्पलेनेंट ने भी वकील किया हो। दूसरा हमने यह किया था कि इसमें ऐडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, यदि देनी होगी तो अध्यक्ष उसका कारण लिखित रूप से बताएंगे कि ऐडजर्नमेंट क्यों दी जा रही है ताकि बार-बार ऐडजर्नमेंट देकर उसमें विलम्ब न हो और उसमें कॉस्ट भी डाली जाएगी ताकि विलम्ब न हो। तो अब माननीय सदस्यों का जैसा सुझाव था, हमने इसको भी स्वीकार कर लिया है और इसमें यथास्थिति रखी जा रही है।

हमने इसमें जो फीस की बात कही है, इस बारे में आपका सुझाव बिल्कुल स्वीकार है, हम रूल्स के अंदर इसे प्रोवाइड करेंगे और नॉमिनल फीस तय करेंगे। उद्देश्य दो थे, जब सारा विचार-विमर्श किया गया कि हम इसमें संशोधान करें, तरमीम करें तो एक विचार यह भी आया कि क्योंकि फीस नहीं है इसलिए कई बार बिना कारण भी बहुत सी शिकायतें वहां आ जाती हैं और उनके कारण वहां पेरशानी होती है। दूसरा कारण यह था कि पूरे देश और प्रशासन के सामने यह

सवाल था कि कुछ न कुछ रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब जगह से किया जाए। इसलिए इन दो काराणों से यह फीस हमने रखी है। इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जब इसके रूल्स बनेंगे तो बिल्कुल साधारण फीस रखने की कोशिश हम करेंगे।

एक बात माननीय सदस्य ने कही है एम.पीज. के लिए। अभी तक इस ऐक्ट में जो प्रावधान है, उसमें यह व्यवस्था है कि जहां किसी उपभोक्ता ने कुछ पेमेंट की है, वहां तो वह शिकायत कर सकता है, वहां तो कंसीडरेशन है अन्यथा नहीं। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर बिना कोई पैसा दिए उसका इलाज होता है तो अभी तक की स्थिति के अनुसार वह उसके खिलाफ कोई शिकायत लेकर फोरम में नहीं जा सकता लेकिन अब चूंकि सभी हॉस्पिटल्स में कोई न कोई चार्जेज वसूल किए जाने शुरू हो गए हैं, इसलिए वे भी इसकी परिधि में आ गए हैं। आपने जो बात कही हैं, मैं उसको अलग से देखने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी तक यह स्थिति है कि जहां पर उपभोक्ता ने किसी सर्विस के लिए कुछ भी पे नहीं किया है, वहां पर वह उसके खिलाफ कोई शिकायत लेकर फोरम में नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि उसी बात फोरम वालों ने शिकायत की होगी, इसको हम अलग से देख लेंगे।

श्री बालकवि बैरागी : मंत्री महोदय, अस्पतालों में भी यही स्थिति हैं। हम एम.पी. लोगों का सी.जी.एच.एस. का पैसा कटता है, हर महीने हमारी सैलेरी से पैसा कट जाता है लेकिन वहां पर हम उपभोक्ता बनकर जांएगे तो माना जाता है कि ये पेमेंट नहीं करते हैं, जब कि सीधे यहां पार्लियामेंट में ही पैसा कट जाता है। शताब्दी में सफर करते समय यही स्थिति होती है, राजधानी में सफर करते समय हम लोगों की यही स्थिति होती है और यही स्थिति जगह-जगह उपभोक्ता फोरम में होती है। चूंकि यहां पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए एम.पीज. को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस स्थिति पर आप विचार करें।

श्री शांता कुमार : ठीक है, इस पर हम विचार कर लेंगे। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांऊसिल बनाने के बारे में पहले "में" शब्द था, उसको अब बदलकर "शैल" कर दिया गया है और हमने कहा कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर उपभोक्ता काऊंसिल बनें ताकि उपभोक्ता आंदोलन मजबूत हो। महोदय, एक सुझाव आया है कि इस तरह की जो काऊंसिल बनाई है, उसमें कलक्टर को अध्यक्ष बनाया है। मेरा निवेदन है कि अभी तो हम काऊंसिल बना दें, उसका अनुभव जब हमको प्राप्त होगा तो बाद में आपके सुझाव पर विचार कर लिया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर इस विधेयक में 47 अमेंडमेंट्स हैं और हमने इस ऐक्ट में ऐसे संशोधन करने की कोशिश की है ताकि कंज्यूमर फोरम सशक्त हों, अपने फैसलों को इंप्लीमेंट करवा सकें, उनमें देरी बिल्कुल न हो, उपभोक्ता आंदोलन मजबूत हो और नयी परिस्थितियों में, ओपन इकॉनमी में उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है। मेरा निवेदन है कि सदन इसे पारित करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Thank you.

Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Consumer Protection

Act, 1986, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We now take up clause 3. There are three amendments to clause 3. One is by Shri Lajpat Rai. He is absent. Another amendment is by Shri Balbir K. Punj. He is also absent.

Amendment No.3, is proposed by the Minister, Shri Shanta Kumar.

Clause 3 (Substitution of new section for section 3)

SHRI SHANTA KUMAR : Sir, I move:

'That at page 3, lines 21 to 24 be deleted."

The *question was put and the motion was adopted.*

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : We shall now take up clause 7. There is one amendment, No. 5, by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE-7 (Amendment of section 10)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

5 "That at page 5, line 2, for the figure "2001" the figure "2002" be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses a to 12 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up clause 13. There is one amendment, No.6, by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE-13 (Amendment of section 16)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

6. "That at page 9, line 7, *for* the figure "2001" the figure "2002" be *substituted.'*

The question was put end the motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses u to .0 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up clause 19. There is one amendment, No. 7, by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE -19 (Amendment of section 20)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

7. "That at page 11, line 36, *for* the figure "2001" the figure "2002" be *substituted.'*

The question was put and the motion was adopted. Clause 19, as amended, was added to the Bill. Clauses 20 to 25 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up clause 26. There is one amendment No. 8 by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE-26 (Amendment of section 29)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

8. "That at page 13, *for* the figure "2001" wherever it occurs the figure " 2002" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 26, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up clause 27. There are two amendments No. 10 and 11 by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE-27 (Insertion of new section 29B)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

10 "That at page 13, lines 47 to 52 *be omitted."*

11. "That at page u, lines 1 to 3 *be omitted."*

The question were put and the motions were adopted. Clause 27, as amended, was added to the Bill. Clauses 28 to 30 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up Clause-1, There is one amendment, No. 2, by Shri Shanta Kumar.

CLAUSE-1 (Short tile and commencement)

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

2 "That at page 1. line 2, *for* the figure "2001" the figure "2002" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.
Clause-1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up the Enacting Formula. There is one amendment, No.1, by Shri Shanta Kumar.

ENACTING FORMULA

SHRI SHANTA KUMAR: Sir, I move:

1. "That at page 1, line 1, *for* the word "Fifty-second" the word "Fifty-third be *substituted**

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

श्री शांता कुमार : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

"यथा संशोधित विधेयक को पास किया जाए ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we will take up the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill.

THE INTER-STATE WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2001

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, I rise, here, to point out certain deficiences and objectionable provisions in the proposed Amendment Bill.